राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:- (1) भू-प्रबन्ध, आयुक्त, जयपुर ।
(2) समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।

क्रमांक:- प•11(27)राज-6/97/2 जयपुर, दिनांक:- 18/3/2000

विषय:- मंदिर देवमूर्ति की खातेदारी भूमि में देवमूर्ति के साथ पुजारी के नाम के नाम के संबंध में ।

इस विभाग के परिपत्र संख्या प•2(4)राज-4/90/37 दिनांक 13•12•91 द्वारा निम्न निर्देश दिये गये थे :-

1• भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बताई जाये उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या शिवायत का नाम नहीं लिखा जावें ।

2• प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा में अलग से रखा जावे । जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे ।

3• जो जमाबन्दी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभाव में है उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा ऊपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे । इस बाबद नोट जमाबन्दी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जावे ।

कृपया अवगत करावे कि उपरोक्त निर्देशों की पालना में मंदिरों की जमीनों में कितने मामलों में पुजारियों का नाम हटाकर रजिस्टर में दर्ज किया गया है । उपरोक्त सूचना राजस्थान विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा चाही गई है । कृपया प्राथमिकता से सूचना एकत्रित कर 15 दिवस में इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें ।

18/3/2000
(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

मनोज/163के